कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 5050 /26सी0 दिनांकः–16/12/2020

सेवा में,

Manager (PNG),
Indraprastha Gas Ltd.
IGL Bhawan, Plot No.4,
Community center, R.K. Puram, Sector-9 ,
New Delhi-110022

विषयः– Permission for laying MDPE and Carbon Steel 1.000 km x12" Pipeline from, Rana Chowk (Ch 0.000 to 1.000) Near Gupta Resort.

सन्दर्भः– आपका पत्रांक IGL/PNG/STEEL/42 Date 02.11.2020

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि एच0डी0डी0 पद्धति द्वारा रोड कटिंग चार्जेज के रूप में कुल रू0 22,080.00 मात्र डी0डी0 सं0 762197 दिनांक 15.10.2020 के द्वारा जमा की गयी धनराशि के उपरान्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ निर्गत किया जाता है।

- खुदाई का कार्य प्रस्तुत किये गये पत्र तथा ड्राईग के अनुरूप अवगत करायी गयी दूरी अथवा लेपित सतह के मध्य से 17.00 मी0 छोडने के उपरान्त ही खुदाई का कार्य कराया जाये।
- खुदाई के कार्य हेतु एकत्रित की गयी सामग्री मार्ग पर नही रखी जायेगी एवं मार्ग की लेपित सतह को किसी भी प्रकार की क्षति नही होनी चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद अवशेष सामग्री तत्काल कार्यस्थल से हटा दी जाये।
- कार्य से यातायात किसी भी प्रकार से बाधित नही होना चाहिए।
- कार्य से मार्ग के किनारे खडे हुये पेडों को किसी भी प्रकार से क्षति नही होनी चाहिए।
- नाली, नाला इत्यादि के लिए अपने खर्च पर रेलिंग अथवा पैरापिट से बाहर की ओर सर्पोट ब्रैकेट लगाकर डक्टिंग का कार्य कराना होगा।
- डक्टिंग से भूमिगत विद्युत लाईन, पेय जल आपूर्ति लाईन, गैस लाईन अथवा किसी अन्य कम्पनी की ओ0एफ0सी0 केबिल व सीवरेज को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी/कम्पनी की होगी।
- खुदान के समय बैरिकेटिंग, आपात रोशनी व्यवस्था तथा चेतावनी बोर्ड आदि का प्राविधान आपको/कम्पनी को अपने व्यय पर करना होगा।
- यदि खुदाई कार्य के लिए ट्रैफिक ड्राईवर्जन की आवश्यकता होगी तो इस हेतु आपको/कम्पनी को अपने व्यय पर समस्त कार्यवाही करनी होगी।
- आवश्यकता के अनुरूप वन विभाग व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से अनुमति अपने स्तर पर लेनी होगी।
- आपके सड़क व पटरी पर किसी भी प्रकार की क्षति होने पर उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी आपकी/कम्पनी की होगी।
- उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न होने की दशा में, उपरोक्तानुसार दी गयी अनुमति को किसी भी समय निरस्त करने का सर्वाधिकार विभाग का होगा।

01-02-2021

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

16/12/2020

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक /26सी0 दिनांकः– / /2020

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता चतुर्थ, प्रा0ख0, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा0), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक ६१४/26सी0 दिनांकः– 17/02/2020

सेवा में,

Manager (PNG),
Indraprastha Gas Ltd.
IGL Bhawan, Plot No.4,
Community center, R.K. Puram, Sector-9,
New Delhi-110022

विषयः– Permission for laying MDPE and Carbon Steel 2 km x12" Pipeline from, Rana Chowk Ch- Km 1.000 to Sujroo Chungi, Km-3.000 Muzaffarnagar.

सान्दर्भः– आपका पत्रांक IGL/MOZ/22687 Date 14.02.2020

आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में आपके द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत की जाती हैः–

- खुदाई का कार्य प्रस्तुत किये गये पत्र तथा ड्राईग के अनुरूप अवगत करायी गयी दूरी अथवा लेपित सतह से 3.00 मी0 छोडने के उपरान्त ही खुदाई का कार्य कराया जाये।
- खुदाई के कार्य हेतु एकत्रित की गयी सामग्री मार्ग पर नही रखी जायेगी एवं मार्ग की लेपित सतह को किसी भी प्रकार की क्षति नही होनी चाहिए। कार्य समाप्त होने के बाद अवशेष सामग्री तत्काल कार्यस्थल से हटा दी जाये।
- कार्य से यातायात किसी भी प्रकार से बाधित नही होना चाहिए।
- कार्य से मार्ग के किनारे खडे हुये पेडों को किसी भी प्रकार से क्षति नही होनी चाहिए।
- नाली, नाला इत्यादि के लिए अपने खर्च पर रेलिंग अथवा पैरापिट से बाहर की ओर सर्पोट ब्रैकेट लगाकर डक्टिंग का कार्य कराना होगा।
- डक्टिंग से भूमिगत बिद्युत लाईन, पेय जल आपूर्ति लाईन, गैस लाईन अथवा किसी अन्य कम्पनी की ओ0एफ0सी0 केबिल व सीवरेज को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी/कम्पनी की होगी।
- खुदान के समय बैकिंटिंग, आपात रोशनी व्यवस्था तथा चेतावनी बोर्ड आदि का प्राविधान आपको/कम्पनी को अपने व्यय पर करना होगा।
- यदि खुदाई कार्य के लिए ट्रैफिक ड्राईवर्जन की आवश्यकता होगी तो इस हेतु आपको/कम्पनी को अपने व्यय पर समस्त कार्यवाही करनी होगी।
- आवश्यकता के अनुरूप वन विभाग व मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से अनुमति अपने स्तर पर लेनी होगी।
- उपरोक्त शर्तो का अनुपालन न होने की दशा में, उपरोक्तानुसार दी गयी अनुमति को किसी भी समय निरस्त करने का सर्वाधिकार विभाग का होगा।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
मुजफ्फरनगर।

पत्रांक /26सी0 दिनांकः– / /2019

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता चतुर्थ/अवर अभियन्ता(प्रा0), प्रा0ख0, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि अवर अभियन्ता (प्रा0), प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

01-02-2021

अधिशासी अभियन्ता

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited
IGL Bhawan, Plot No. 4, R.K. Puram
Sector-9, New Delhi-110022

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक : 3341/1C

सेवा में,

दिनांक : 20.9.19

INDRAPRASTHA GAS LIMITED
IGL BHAWAN PLOT NO.4 COMMUNITY CENTRE,
R.K. PURAM SECTOR-9 NEW DELHI-110022.

विषयः **Permission for laying of Carbon STEEL & MDPE Natural Gas Pipeline in common trench from Chainage 69.400 to chainage 72.400 at Muzaffarnagar-Shamli road and from chainage 0.230 to chainage 5.00 at Meenakshi chowk to jansath by pass**

Ref.: Your Letter No. IGL/PNG/MDPE 21971 dt. 18-09-2019

महोदय

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा रू0 2085530.00 मात्र का डिमाण्ड ड्राफ्ट जिसका क्रमांक 946035 है, इस खण्ड में उपलब्ध कराया गया है। जिसके क्रम में कार्यदायी संस्था को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तो के साथ निर्गत किया जा रहा है :-

1. कार्यदायी संस्था द्वारा जो **STEEL & MDPE Natural Gas Pipeline** डाली जायेगी वह पेन्टिड सडक के मध्य से 10.50 मीटर दूरी पर होना चाहिए।
2. **STEEL & MDPE Natural Gas Pipeline** डालते समय मार्ग के यातायात में अवरोध नही होना चाहिए।
3. **STEEL & MDPE Natural Gas Pipeline** डालते समय पेन्टिड सडक पर मलबा एवं निर्माण सामग्री एकत्रित करना अवैध होगा।
4. कार्यदायी संस्था द्वारा जो भी कार्य कराया जायेगा उसका मलबा इत्यादि आपके द्वारा साफ किया जायेगा।
5. भविष्य में मार्ग के विस्तार की संभावना के अन्तर्गत यदि विभाग के चौडीकरण हेतु भूमि की आवश्यकता होती हैं तो कार्यदायी संस्था को विभागीय शर्तो पर पाईप लाइन स्वयं के खर्चे पर शिफ्ट करना होगा।
6. किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर उसके लिये कार्यदायी संस्था स्वंय उत्तरदायीं होंगे तथा किसी भी प्रकार मुआवजें आदि के सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।
7. **STEEL & MDPE Natural Gas Pipeline** डालते समय पेन्टिड सतह व पट्‌टी क्षतिग्रस्त नही हानी चाहियें।
8. लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागो से अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुमति यदि आवश्यक हो तो कार्यदायी संस्था द्वारा स्वयं प्राप्त की जायेगी।
9. गैस पाईप लाईन से ज्वलनशील दुघर्टना होने पर कार्यदायी संस्था एवं स्वयं जिम्मेदार होगें।
10. कार्य प्रारम्भ व समाप्त होने की सूचना लिखित रूप में इस खण्ड को अनिवार्य रूप से देनी होगी।
11. आबादी भाग में **STEEL & MDPE Natural Gas Pipeline** अन्डर ग्राउण्ड ट्रेंच द्वारा डाली जायेगी।
12. उक्त स्वीकृति मात्र तीन माह के लिए वैध है।

यदि कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का अनुपालन नहीं किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता,
नि0 ख0-1, लो0नि0वि0, मु0नगर

पत्रांक : /

दिनांक :

प्रतिलिपिः- सहायक अभियन्ता-द्वितीय/चतुर्थ, निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, मु0नगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01-02-2021

SOMIL GARG
Addl. General Manager
Indraprastha Gas Limited

अधिशासी अभियन्ता,